

राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान
डॉ. के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110 012
14, सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली - 110 067

सं.3/26/2010-आर एंड ए

19/02/2014

कार्यालय-जापन

विषय: सीएसआईआर के पत्र सं 5-1(17)/2008-पीडी दिनांक 15-02-2011 के द्वारा वितरित डीओपीटी का.जा.सं.35034/3/2008-Estt.(D) एवं 3/4/2010-Dir. © के अनुसार केन्द्रीय कार्यालयों में स्थित गैर तकनीकी कार्मिकों एवं विभागीय कैंटीनों/टिफिन रूम में कार्यरत कैंटीन कामिकों के लिए मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसपीपी)।

मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरूप किसी भी कार्मिक के सम्पूर्ण कार्यालयी सेवा कैरियर में एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रौन्नति कार्मिक के सीधे भर्ती में नियुक्ति के समय के वेतनमान से नियमित पदोन्नति के विरुद्ध गिने जाएंगे। इसका अर्थ है कि एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत कार्मिक को तीन वित्तीय प्रौन्नति दी जाएगी यदि निर्धारित अवधि (10, 20, 30 वर्ष) के दौरान उसे कोई नियमित पदोन्नति प्राप्त न हुई हो। यदि किसी कार्मिक को पहले ही एक नियमित पदोन्नति प्राप्त हो गयी है, वह द्वितीय वित्तीय प्रौन्नति के लिए एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष की नियमित सेवा के पूर्ण होने के पश्चात ही योग्य माना जाएगा। किसी कार्मिक को नियमित आधार पर पहले ही तीन पूर्व पदोन्नति प्राप्त होने की दशा में एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

तदनुसार, 01 गैर तकनीकी ग्रुप B, 02 गैर तकनीकी ग्रुप C (भूतपूर्व ग्रुप D) एवं 01 कैंटीन कार्मिक जिन्होंने दिनांक 30-09-2014 तक वर्तमान वर्तमान ग्रेड में 10, 20 अथवा 30 वर्ष अथवा उससे अधिक की सर्विस पूर्ण कर ली है, की अस्थाई पात्रता सूची एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत विचार हेतु तैयार की गयी है जिसका अर्थ मात्र अगली उच्चतर ग्रेड पे/वित्तीय प्रौन्नति देना है। यद्यपि, यह योजना पदोन्नति योजना नहीं है, अतः इस उद्देश्य के लिए कोई वरिष्ठता मान्य नहीं होगी बल्कि वर्तमान ग्रेड में निर्धारित वर्षों की पूर्णता ही मान्य होगी:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम तथा जन्मतिथि	सीधी भर्ती के अन्तर्गत प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वित्तीय प्रौन्नति के लिए योग्यता की प्रभावी तिथि पे-बैंड तथा ग्रेड-पे	टिप्पणी / Remark
1.	Shri Rajasekhran K.S Sr. Steno. (ACP) 01/06/1957	Junior Stenographer Rs. 330-560 07/06/1984	Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 5400/- 07/06/2014	Eligible (III MACP) w.e.f 07/06/2014
2.	Shri Rajesh Kumar Peon (ACP) 16/07/1967	Peon Rs. 750-940 28/07/1994	14/08/2014* Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2000/-	Eligible (II MACP) w.e.f 14/08/2014
3.	Shri Shiv Singh Peon (ACP) 18/11/1963	Peon Rs. 750-940 29/07/1994	29/07/2014 Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2000/-	Eligible (II MACP) w.e.f 29/07/2014
4.	Sh Sonu Chakraborty Washboy (ACP) 16/06/1965	Washboy Rs. 196-232 01/12/1983	01/12/2013 Rs. 5200-20200 with Grade pay Rs. 2000/-	Eligible (III MACP) w.e.f 01/12/2013
5.	Shri Harender Singh Negi, Halwai-cum- cook (ACP), 18/05/54	Cook Rs. 225-308 01/12/1983	01/12/2013 Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2800/-	Eligible (III MACP) w.e.f 01/12/2013

*12-19/01/96, 06-08/02/96 & 12-16/02/96 total 16 days Dies non

निस्केयर के दोनों परिसरों के सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को इस कार्यालय ज्ञापन से अवगत करायें।

वे जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि उन्होंने 10/20/30 वर्ष अथवा अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है अथवा वर्तमान ग्रेड में कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अथवा उनकी नियुक्ति तिथि ठीक नहीं दिखाई गयी है अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि है, के विषय में वे इस कार्यालय को 15-03-2014 तक अवश्य सूचित करें अन्यथा यह माना जाएगा कि उपरोक्त स्टाफ सदस्यों की श्रेणी में अन्य कोई व्यक्ति दिनांक 30-09-2014 तक एमएसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रौन्नति के विचारार्थ योग्य नहीं है।



(सिमेश वर्मा)

प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिप:

1. सभी सम्बन्धित व्यक्ति (जिन कार्मिकों ने अपनी एसीआर प्रस्तुत नहीं की है, वे एमएसीपी के अन्तर्गत उनके केस पर विचार करने में देरी के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे)
2. सभी सूचना पत्र (पूसा तथा एस वी मार्ग)
3. सभी अनुभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष - सूचनार्थ और अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के मध्य सूचना देने के लिए
4. वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक के निजी सहायक
5. सम्बन्धित सहायक (एसीआर)
6. प्रमुख, आईटी - निस्केयर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी (स्थापना)